न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 177 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जगदीश पुत्र मिश्रीलाल	1.	कुनाराम पुत्र मुलाराम जाति कलाल निवासी लाडपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2. पन्नालाल पुत्र मिश्रीलाल	2.	तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।
3. लक्ष्मणराम पुत्र मिश्रीलाल जातिगण नाई निवासीगण लाडपुरा तहसील सोजत, जिला— पाली।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 03/03/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम लाडपुरा, पटवार हल्का गुडाबींजा, भू.अ.नि. क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 0.5700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवम् खसरा नम्बर 194 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बाड़ा की आई हुई स्थित हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 188 की स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 खुखार एवम् झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है, जो लाठी लकड़ी के बल पर मौके पर सीमांकन नहीं करवाने दे रहा है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि एवम् प्रार्थीगण की कृषि भूमि के बीच आयी हुई माठ को भी अप्रार्थी संख्या 1 ने खुर्द बुर्द कर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के चारो तरफ तारबन्दी की हुई है, जिसको भी अप्रार्थी संख्या 1 ने तोड़ दिया है तथा माठ व सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के बीच आये दिन मन मुटाव व वाद विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 की वादस्थ कृषि भूमि का सीमाकंन व पैमाईश करने एवं माठों की सही स्थिति में मुटाम (मुड्डा) लगवाकर हमेशा हमेशा विवाद खत्म करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि की सीमाकंन व पैमाईश करवाने में सहमत नहीं हुआ। दिनांक 25 / 04 / 2024 को पटवारी मौके पर सीमांकन करने हेतु मौके पर आया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर सीमांकन नहीं करने दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर विवाद उत्पन्न करने लगा तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि जो जहाँ पर है, वैसा ही है, कोई माठो का माप चौक नहीं कराया जायेगा न ही खेतो का सीमांकन व पत्थरगढ़ी करने दूंगा। उपरोक्त धमकी के पश्चात् प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के रवैये से एवम् लड़ाई झगड़ो से परेशान हो चुके है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 0.5700 हैक्टर का सीमाकंन जरिये पत्थरगढी से पैमाईश करवा के मौके पर मुटाम (मुड्डा) लगवाना चाहते हैं। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के बीच माठों का विवाद समाप्त हो जाये। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि की सीमाकंन एवं पैमाईश करवाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमाकंन करवा कर मुटाम (मुड्डा) लगवाना चाहते हैं। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा लाडपुरा के खसरा नम्बर 193 रकबा 0.5700 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पुलिस इमदाद के साथ पत्थर गठी कर मुटाम (मुड्डे) लगवाया जाने का आदेश प्रदान कराने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर जवाब प्रा0पत्र मय प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी कृषि भूमि सरहद ग्राम लाडपुरा के खसरा संख्या 193 रकबा 0.5700 हैक्टर खसरा संख्या 194 रकबा 0.0200 हैक्टर होना बताया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि खसरा संख्या 188 स्थित होना बताया है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 193 का मुटाम लगवाकर नाप चौककर सीमांकन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ खसरा संख्या 191, 226 196, 189, 190 व 192 भी आये हुए स्थित है। जब तक प्रार्थी के खसरा संख्या 193 के पड़ौस में स्थित खसरान के खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जब तक पड़ौस के खसरो का भी नाप चौक नहीं किया जाता तब तक खसरा संख्या 193 की सीमाओ का कतई निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 193 के चारो तरफ स्थित खसरान के खातेदार का सुना जाना भी कानूनन आवश्यक है। लेकिन प्रार्थी ने पड़ौसी खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाकर मात्र अप्रार्थी को ही पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। प्रार्थी ने पूर्व में सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 24/04/2024 के आदेश की पालना में पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर खसरा संख्या 188 व 193 के मध्य सीमा सम्बंधित मौके पर वाद विवाद होने से सीमांकन करने लगे उस समय अप्रार्थी संख्या 01 ने खसरा संख्या 193 की चिपते हुए रास्ता की भूमि एवं खसरा संख्या 226 की माठ का भी नापचौक करने का निवेदन किया, लेकिन खसरा संख्या 226 एवं रास्ता की भूमि का व पड़ौस के खसरा संख्या 191 व 192 का माठो का बिना निर्धारण किये नाप चौक किया गया था। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 ने आपत्ति करते हुए पड़ौसी खातेदारो के माठो के भी नाप चौक करने का निवेदन किया गया, लेकिन पड़ौसी खसरो की माठो का कोई निर्धारण नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा नाजायज तरीके से खसरा संख्या 193 व 188 के बीच की माठ पर खड़े नीम के हरे वृक्षो को काट दिये तब अप्रार्थी संख्या 01 ने आपत्ति की थी तथा सीमांकन हेतु आवेदन भी अप्रार्थी संख्या 01 ने किया था। जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 19/06/2024 को सीमांकन का आदेश किया गया, जिस आदेश की पालना में दिनांक 28/06/2024 को पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर गुड़ा बींजा द्वारा मौके पर पड़ौसी खसरो का भी नाप चौक किया तथा खसरा संख्या 193 व 226 के बीच स्थित रास्ते की स्थिति को सही कायम करते हुए नाप चौक किया गया तथा खसरा संख्या 188 व 193 के बीच स्थित माठ को कायम कर दी थी। उसके बावजूद भी प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 01 खुंखार व झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है। जब अप्रार्थी संख्या 01 बिलकुल ही सीधा साधा एवं स्वभाव से भोला प्रवृति का व्यक्ति है। जबकि प्रार्थीगण आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जिन्होने पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 01 के साथ लड़ाई झगड़े करते रहे एवं उक्त कृषि भूमि की माठ पर खड़े हरे नीम के वृक्ष भी नाजायज तरीके से काट लिये। प्रार्थीगण की नियत अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि को हड़प करने की रही है। प्रार्थीगण का यह लिखना सरासर गलत एवं झूठ है कि "अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त कृषि भूमि के बीच स्थित माठ को खुर्द बुर्द करने की रही हो"। प्रार्थीगण की नियत अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि पर कब्जा करने की है। अप्रार्थी संख्या 01 ने कभी भी माठो में तोड़फोड़ नहीं की है। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि के उत्तरी दिशा का पड़ौसी अप्रार्थी संख्या 01 को होना बताकर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध ही प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि कभी भी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाता है। तो उसके चारो तरफ स्थित खसरो का या किसी कुएं से जिसका नक्शा में तरमीम किया हो या किसी मुटाम या सरहद माठ से ही नाप किया जाता है। लेकिन प्रार्थीगण ने अन्य पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कतई चलने लायक नहीं है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा लाडपुरा के खसरा नम्बर 193 रकबा 0.5700 हैक्टर कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 188 की स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 खुखार एवम् झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है, जो लाठी लकड़ी के बल पर मौके पर सीमांकन नहीं करवाने दे रहा है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि एवम् प्रार्थीगण की कृषि भूमि के बीच आयी हुई माठ को भी अप्रार्थी संख्या 1 ने खुर्द बुर्द कर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अतः प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित वादरथ कृषि भूमि का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पुलिस इमदाद के साथ पत्थर गठी कर मुटाम (गुड्डे) लगवाया जाने का आदेश प्रदान कराने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ खसरा संख्या 191, 226 196, 189, 190 व 192 भी आये हुए स्थित है। जब तक प्रार्थी के खसरा संख्या 193 के पड़ौस में स्थित खसरान के खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जब तक पड़ौस के खसरो का भी नाप चौक नहीं किया जाता तब तक खसरा संख्या 193 की सीमाओं का कतई निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 193 के चारो तरफ स्थित खसरान के खातेदार को सुना जाना भी कानूनन आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पर सव्यय खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर ख.नं. 193 व 188 की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम लाडपुरा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 0.5700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम लाडपुरा, पटवार हल्का गुडाबींजा, भू.अ.नि. क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 0.5700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मालसिंग राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

निर्णय आज दिनांक 03/03/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मालसिंग राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)